न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1232–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–06–2007 पारित द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर, प्रकरण कमांक 02/1988–89/सीलिंग

श्री गोपाल गौशाला, पंजीकृत,
सार्वजनिक धार्मिक न्यास, रतलाम
तहसील एवं जिला रतलाम
द्वारा अध्यक्ष एव सचिव

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य

.....अनावेदक

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी.एन.त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/6/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 42 के अंतर्गत बन्दोबस्त आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक संस्था द्वारा धारित भूमि दो संभागों में स्थित होने के कारण अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा उनके न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 5/अ–90/बी/1983–84 अपर बन्दोबस्त आयुक्त को निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 2/सीलिंग/1988–89 दर्ज कर आवेदक संस्था से विधिवत् विवरणी प्राप्त कर दिनांक 4–6–2007 को आदेश पारित कर आवेदक की ओर से सीलिंग अधिनियम की धारा 3(ग) के अन्तर्गत विमुक्त भूमि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर आवेदक को निर्देशित

किया गया कि वह कौन सी भूमि देना चाहता है और कौन सी रखना चाहता है, स्पष्ट करें एवं यह भी निर्देशित किया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक 1–1–1971 की स्थिति में धारित भूमि एवं उसके बाद हुये अंतरण के संबंध में कलेक्टर जिला झाबुआ एवं रतलाम से जानकारी मंगाई जाये ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक न्यास ने आज तक कोई भूमि का विक्रय नहीं किया है और नही डायवर्सन कराया है । समस्त भूमि गौशाला के उपयोग में है । आवेदक न्याय धार्मिक परोपकारी न्याय है । आवेदक न्यास का न्यास के रूप में पंजीकरण वर्ष 1943 में हो गया था । रतलाम रियासत का अपना कोई ट्रस्ट एक्ट नहीं था । ट्रस्ट का पंजीयन इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत ही होता था क्योंकि यही विधि उस समय प्रभावशील थी ।

(2) इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अनुसार ट्रस्ट वैध कार्यो के लिये होना आवश्यक था एवं धारा 5 के के अनुसार स्थायी संपत्ति के लिये ट्रस्ट ऐसा विलेख पंजीयत होना आवश्यक था । ट्रस्ट के निर्माता अथवा ट्रस्टीज के हस्ताक्षर आवश्यक थे तथा संपत्ति का हस्तान्तरण ट्रस्ट को होना आवश्यक था ।

(3) इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 6 के अनुसार धारा 5 के प्रावधानों की पूर्ति होने पर ट्रस्ट निर्मित होना विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कर लेता था । यह विलेख इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 4, 5 एवं 6 की पूर्णतः पूर्ति करता है अर्थात आवेदक ट्रस्ट को वर्ष 1943 से पंजीयत ट्रस्ट न माना जाना विधि के विपरीत होगा ।

(4) आवेदक ट्रस्ट एक पंजीयत ट्रस्ट के रूप में कार्यशील रहा है । मध्यप्रदेश राज्य के निर्माण के पश्चात् आवेदक न्यास के म0प्र0 सार्वजनिक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत नवीन अधिनियम का सम्मान करते हुये पुनः पंजीकरण का आवेदन दिया जिस पर आदेश दिनांक 3–4–76 द्वारा नवीन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया । अतः बंदोवस्त आयुक्त का यह निष्कर्ष मनमाना है कि आवेदक न्यास दिनांक 1–1–1971 के पूर्व पंजीकृत नहीं था।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17–11–80, 29–12–80 तथा उसका स्पष्टीकरण दिनांक 25–2–87 प्रस्तुत किया

गया था परन्तु बन्दोबस्त आयुक्त ने अधिसूचनाओं को इस आधार पर अमान्य किया कि वे हस्ताक्षारित नहीं है ।

(6) अधिसूचनाओं में राज्य शासन ने ऐसी संस्थायें जिनमें गौशाला भी आती है, के द्वारा धारित भूमि को सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से मुक्त रखे जाने का प्रावधान किया है अतः राज्य शासन की उक्त अधिसूचनाओं को देखते हुये विवादित आदेश निरस्त किया जाये तथा आवेदक न्यास को सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से मुक्त होना माना जाकर बंदोबस्त आयुक्त द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण समाप्त किये जाने के निर्देश दिये जाये ।

(7) आवेदक न्यास के विरूद्ध सक्षम अधिकारी ने अंसशोधित सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था । न्यास पंजीकृत होने तथा गौशाला की भूमि होने के कारण प्रकरण में आदेश दिनांक 8–12–64 द्वारा समाप्त किया गया जिसे अपील आदि में चुनौती नहीं दी गई है ।

(8) न्यास के आय व्यय का आडिट प्रतिवर्ष किया जाता है । ऑडिट रिपोर्ट से स्पष्ट है कि न्यास की आय का व्यय मात्र गौशाला के लिये तथा धार्मिक कार्यो के लिये किया जाता है । गौशाला व्यक्तिगत संपत्ति नही है । आवेदक संस्था गौशाला में गौ संरक्षण करती है। बीमार असमर्थ तथा अन्य स्त्रोत से प्राप्त गाय की पूर्ण देखभाल इलाज तथा चारा भोजन दिया जाता है ।

(9) आवेदक न्याय द्वारा धारित भूमि का व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है जैसा कि राजस्व अभिलेखों से प्रमाणित है । भारत सरकार के भारतीय जन्तु कल्याण बोर्ड से भी गौशाला को मान्यता प्राप्त है तथा अनुदान दिया जाता है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ट्रस्ट का पंजीकरण नियत दिनांक 1–1–1971 के पश्चात् दिनांक 3–4–76 को हुआ है, अर्थात् दिनांक 1–1–71 को आवेदक ट्रस्ट पंजीकृत नहीं था, ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा आवेदक को सींलिग अधिनियम के प्रावधानों से मुक्ति प्रदान नहीं करने में पूर्णत वैधानिक एवं उचित

कार्यवाही की गई है, क्योंकि आवेदक संस्था अपंजीकृत ट्रस्ट होने से उसे छूट की पात्रता नहीं आती है । आवेदक की ओर से जिस ट्रस्टी पत्र का सहारा ले रहे है, वह किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा वर्ष 1943 में ट्रस्ट का पंजीकरण होना बतलाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में आवेदक की ओर से कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदक की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि चूँकि इण्डियन ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अनुसार ट्रस्ट वैध कार्यो के लिये होना आवश्यक था एवं धारा 5 के के अनुसार स्थायी संपत्ति के लिये ऐसा विलेख पंजीयत होना आवश्यक था । ट्रस्ट के निर्माता अथवा ट्रस्टीज के हस्ताक्षर आवश्यक थे तथा संपत्ति का हस्तान्तरण ट्रस्ट को होना आवश्यक था । उपरोक्त समस्त शर्तो की आवेदक संस्था द्वारा पूर्ति की गई है, इसलिये ट्रस्ट पंजीकृत माना जायेगा, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का वास्तविक रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है । उपरोक्त आधार पर दर्शित परिस्थितियों में बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर बन्दोबस्त आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर